भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1936

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

स्फूर्ति क्लस्टर

1936. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:
श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनेरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति) की वर्तमान प्रगति सहित स्थापित क्लस्टरों की संख्या, कवर किए गए उद्योगों की संख्या और संवितरित कुल धनराशि क्या है;

(ख) क्या इस योजना से पारंपरिक कारीगरों, विशेषकर अरानी के कारीगर, और सूक्ष्म उद्यमों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन, कौशल उन्नयन और बेहतर बाजार संपर्कों के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्फूर्ति क्लस्टरों के अंतर्गत सहायता प्रदत्त कारीगरों को अब तक कितना लाभ मिला हैं;

(ग) विशेषकर अरानी में और अधिक पारंपरिक उद्योगों और ग्रामीण कारीगर समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार की भविष्य की विस्तार योजनाएँ क्या हैं और स्फूर्ति के अंतर्गत उत्पादित उत्पादों की सुदृढंता, ब्रांडिंग और विपणन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) देश भर में स्वीकृत और संचालित स्फूर्ति क्लस्टरों की राज्य-वार और जिला-वार स्थिति क्या है, और लंबित स्फूर्ति क्लस्टरों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और गति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) तमिलनाडु में स्फूर्ति क्लस्टरों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, विशेषकर अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में और आसपास कवर किए गए क्षेत्रों और लाभार्थियों की संख्या सहित स्वीकृत, चालू और प्रस्तावित क्लस्टरों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सीएसआर ट्रस्ट फंड सहित एमएसएमई क्लस्टर विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में संलग्न कार्यान्वयन करने वाली और तकनीकी एजेंसियों की प्रभावशीलता, जवाबदेही और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 से सरकार द्वारा 1,332.95 करोड़ रुपये की कुल सहायता के साथ 513 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है**,** जिससे देश भर में 3.03 लाख पारंपरिक कारीगरों को सीधे लाभ हुआ है। वर्तमान में, 513 क्लस्टरों में से, 376 क्रियाशील हैं और 137 क्लस्टर कार्यान्वयन के अधीन हैं। अनुमोदित क्लस्टरों का क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): तिरुवन्नामलाई जिले (अरणी सहित) में, मुक्कुरुंबई चावल और बाजरा मूल्यवर्धित उत्पाद क्लस्टर को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्फूर्ति के अंतर्गत 222.09 लाख रुपये की प्रतिबद्ध सहायता के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसमें से 200.812 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और पारंपरिक कृषि-आधारित प्रसंस्करण क्रियाकलापों में संलग्न 370 कारीगरों को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है।

आगे कहा गया है कि स्फूर्ति स्कीम दिनांक 30.09.2022 तक जारी रहेगी। तदनुसार, नए क्लस्टर स्थापित करने के किसी भी भविष्य के प्रस्ताव की जांच योग्यता के आधार पर और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी, जो स्कीम के संचालन के विस्तार के अनुमोदन के अधीन है।

(घ): स्कीम के अंतर्गत, संरचित परियोजना प्रशासन, नियमित माइलस्टोन-आधारित निगरानी और एजेंसियों में स्पष्ट जवाबदेही के माध्यम से क्लस्टर का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। देश भर में अनुमोदित क्लस्टरों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा स्फूर्ति स्कीम के आधिकारिक पोर्टल https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx से प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ): तमिलनाडु राज्य में स्फूर्ति के अंतर्गत 73.78 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध भारत सरकार की सहायता से कुल 28 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है। इन 28 क्लस्टरों में से 19 क्लस्टर क्रियाशील हैं, जिससे 21,397 कारीगर लाभान्वित हो रहे हैं और 9 क्लस्टर कार्यान्वयन के अधीन हैं। विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च): मंत्रालय ने कार्यनिष्पादन मानदंडों के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों और तकनीकी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने, नवीनीकरण करने और हटाने के लिए आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित किया है। इन तंत्रों में तृणमूल स्तर के कार्यान्वयन को सत्यापित करने और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की प्रचालन तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए संरचित समीक्षा बैठकें, तीसरे पक्ष के मूल्यांकन और क्षेत्र निरीक्षण शामिल हैं।

****

अनुबंध-I

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1936 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्फूर्ति के अंतर्गत अनुमोदित क्लस्टरों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्लस्टरों की सं.	क्रियाशील क्लस्टर (संख्या)	क्रियान्वयन के अधीन क्लस्टर (संख्या)
1	कृषि	138	86	52
2	बांस	39	29	10
3	कयर	40	31	9
4	हस्तशिल्प	137	104	33
5	शहद	19	10	9
6	खादी	4	3	1
7	वस्त्र	136	113	23
	कुल	**513**	**376**	**137**

<u>अनुबंध-II</u>

दिनांक 11.15.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1936 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तमिलनाडु में अनुमोदित स्फूर्ति क्लस्टरों का क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्षेत्र	कुल अनुमोदित क्लस्टर (संख्या)	क्रियाशील क्लस्टर (संख्या)	भारत सरकार की ओर से प्रतिबद्ध सहायता (लाख रूपये में)	लाभान्वित होने हेतु प्रस्तावित कुल कारीगर (संख्या)
कृषि	5	3	967.26	1656
कयर	14	12	4783.35	20511
हस्तशिल्प	5	2	852.45	1630
शहद	1	0	216.26	400
वस्त्र	3	2	559.25	1334
कुल	**28**	**19**	**7378.57**	**25531**